"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई 2004—आषाढ़ 25, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2.—श्री सी. एच. बेहार, भा.प्र.से. (1988), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, प्रशासन अकादमी, छत्तीसगढ़ रायपुर का प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से. (2001), सहायक कलेक्टर, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इफाड (IFAD), बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—श्री ए. के. विजयवर्गीय, भा.प्र.से. (1969) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ होने के फलस्वरूप श्री बी. एल. अग्रवाल, भा.प्र.से. (1988) अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंप कर कार्यमुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—श्री ए. के. विजयवर्गीय, भा.प्र.से. (1969) के मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ होने के फलस्वरूप वित्त विभाग का स्वतंत्र चालू प्रभार श्री डी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से. (1982), सचिव, वित्त विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—श्री आर. डी. मीणा, भा.प्र.से. (डब्ल्यू. बी. 1984) आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को स्थानांतरित करते हुए अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

2. श्रीमती निहारिका बारीक, भा.प्र.से. (1997) अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रभारी आवासीय आयुक्त का कार्य सौंपा जाता है. यह आदेश दिनांक 3 जुलाई, 2004 को अपरान्ह से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2.—श्री सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. (सी. जी. 1999) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर एवं रजिस्ट्रार, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री बोरा को रजिस्ट्रार, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर का सौंपा गया प्रभार यथावत् रहेगा.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2004

क्रमांक ई-1-9/2004/एक/2.—श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, सी.आई.डी.सी. का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(2) श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से. (1992) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, संस्थागत वित्त का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(3) श्री अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. (सी. जी. 1993) प्रबंध संचालक, सी.आई.डी.सी. एवं संचालक, संस्थागत वित्त की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में उप-सचिव के पद पर नियुक्ति के लिये तत्काल प्रभाव से सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2004

क्रमांक/बी-1/5/2004/1/4.—राज्य शासन, राज्य प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शाये गये पदों पर पदस्थ करता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री टी. एस. सोनवानी (आर. आर.-91, व. श्रे.)	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर.	अवर सचिव, छ. ग. शासन, कृषि विभाग.
2.	श्री के. एल. ग्वाल (पी-92, व. श्रे.)	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर.	अवर सचिव, लोक सेवा आयोग, छ. ग., रायपुर.
3.	श्री रमेश शर्मा (आर. आर.-96 क. श्रे.)	सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर.	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छ. ग., मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग रायपुर.
4.	श्री सी. एस. डेहरे (आर. आर.-91, व. श्रे.)	अवर सचिव, छ. ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर.	संयुक्त कलेक्टर, बिलासपुर
5.	श्री जे. एस. दीक्षित (पी-92, व. श्रे.)	अवर सचिव, छ. ग. शासन, लोक निर्माण, पर्यावरण तथा नगरीय विकास विभाग, रायपुर.	संयुक्त कलेक्टर, कोरिया
6.	श्री श्रीराम सोरी (पी-98, क. श्रे.)	डिप्टी कलेक्टर, राजनांदगांव	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छ. ग. मंत्रालय, लोक निर्माण, पर्यावरण तथा नगरीय विकास विभाग, रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2004

क्रमांक 1642/686/2004/1/2/लीव.—श्री आर. पी. बगाई, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग एवं आयुक्त परिवहन, छ. ग. को दिनांक 12-7-2004 से 7-8-2004 तक (27 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10, 11 जुलाई, 2004 एवं 8 अगस्त, 2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. बगाई, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग एवं आयुक्त, परिवहन, छ. ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री आर. पी. बगाई को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी. बगाई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री आर. पी. बगाई के अवकाश अवधि में श्री शिवराज सिंह, प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ गृह विभाग का कार्य भी संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2004

फा. क्र. 4164/502/21-ब/छ. ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विष्णु प्रसाद साव, अधिवक्ता, राजनांदगांव को दिनांक 31-7-2005 की परिवीक्षा अवधि के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राजनांदगांव के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2004

फा. क्र. 4166/502/21-ब/छ.ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राकेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, राजनांदगांव को 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राजनांदगांव के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2004

फा क्र. 1/सी./4168/2004/एक्ट्रोसिटी/21-ब/दो.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

क्रमांक (1)	अभिभाषक का नाम (2)	जिले का नाम (3)
1.	श्री धन सिंह सोलंकी	बिलासपुर
2.	श्रीमती रमासिंह	सरगुजा
3.	श्री प्रियंक गनौदवाले	रायपुर
4.	श्री उमाकांत भारद्वाज	राजनांदगांव

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक के लिये होगी तथा किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1/सी./एक्ट्रोसिटी/21-ब/दो. दिनांक 25-6-1999 के अनुरूप देय होगा.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण-01-अनुसूचित जाति अन्य व्यय-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना-5171 विशेष न्यायालयों की स्थापना 23-अन्य प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2004

क्रमांक 1679/खाद्य/2004/29.—विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश पृ. क्र. 3950/डी/1365/21-ब/छ.ग./2004, दिनांक 28-6-2004 जिसके द्वारा श्री राधेश्याम शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजति अत्याचार निवारण न्यायालय, जगदलपुर की सेवायें अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, दुर्ग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु इस विभाग को सौंपी गई है, के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राधेश्याम शर्मा, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय, जगदलपुर को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, दुर्ग के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है.

रायपु, दिनांक 3 जुलाई 2004

क्रमांक 1681/खाद्य/2004/29.—विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश पृ. क्र. 3951/डी/1365/21-ब/छ.ग./2004, दिनांक 28-6-2004 जिसके द्वारा श्री पी. के. श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर के पद से प्रतिनियुक्ति पर वापस लेते हुये श्रीमती मैत्रीय माथुर विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति न्यायालय, राजनांदगांव की सेवायें अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग को सौंपी गई है, के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. के. श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर की सेवायें इस विभाग से लौटाते हुये विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी जाती है. श्री श्रीवास्तव के स्थान पर श्रीमती मैत्रीय माथुर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति न्यायालय, राजनांदगांव की सेवायें इस विभाग में लेते हुये अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/1 अ/82 वर्ष 02-03/836.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	मरादेव	0.069	कार्यपालन यंत्री, जल प्रबंध संभाग, रुद्री, कोड नं. 38.	न्यू रुद्री बराज में डूबान में आने के कारण मकानों एवं अन्य संपत्तियों का अर्जन बावत.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 5 जून 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/1 अ/82 वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	औरांसी प. ह. नं. 3	0.032	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायपुर.	खोरसी नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 2 जुलाई 2004

क्रमांक/244/भू-अर्जन/अ.वि.अ./50-अ/82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	मुढ़ेना प.ह.नं. 144	5.07	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 2 जुलाई 2004

क्रमांक/254/भू-अर्जन/अ.वि.अ./51-अ/82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	नांदगांव प.ह.नं. 144	48.45	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 3 अ/82 वर्ष 03-04/2888.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरुद
- (ग) नगर/ग्राम-भेलवाकुदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
250	0.028
योग	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-धमतरी पचपेड़ी रानीतराई मार्ग पर खारुन नदी में भेलवाकुदा घाट पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 जून 2004

क्रमांक 176/क/भू-अर्जन/2/अ/82/वर्ष 2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91	0.04
योग 1	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जमुनैया नाला पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2004

क्रमांक-क/उ.लि./2004.—प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर एवं मुख्य अभियंता, सड़क परिवहन और राजमार्ग, भारत शासन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मैं संतुष्ट हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 रायपुर-बिलासपुर मार्ग में नांदघाट के पास, शिवनाथ नदी पर स्थित उच्च स्तरीय पुल छतिग्रस्त हो गया है और उस पुल पर से 10 मे. टन या उससे अधिक क्षमता का यातायात सुरक्षित नहीं रह गया है. अतएवं सुरक्षित यातायात और जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मैं आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त पुल पर से 10 मे. टन के सभी प्रकार के भारयुक्त माल वाहनों एवं मल्टी एक्सल खाली अथवा भरे हुए यानों का आवागमन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित करता हूं.

प्रतिबंधित अवधि में उक्त वाहनों का आवागमन रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के कि.मी. 65.6 लिमतरा ग्राम के पास स्थित व्यपवर्तित मार्ग से भाटापारा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के कि.मी. 78 के पास नारायणपुर से होगा. यह आदेश दिनांक 12-7-2004 से प्रभावशील होगा.

सही/-

(आर. पी. मंडल)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी